गोवा, दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम् अधिनियम का विस्तारण) अधिनियम, 1965

(1965 का अधिनियम संख्यांक 30)

[25 सितम्बर, 1965]

गोवा, दमण और दीव के संघ राज्यक्षेत्र पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के विस्तारण के और कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सोलहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम गोवा, दमण और दीव (सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम् अधिनियम का विस्तारण) अधिनियम, 1965 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "गोवा, दमण और दीव" से गोवा, दमण और दीव का संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है;

(ख) "उप-राज्यपाल" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त गोवा, दमण और दीव का प्रशासक अभिप्रेत है ।

3. सिविल प्रक्रिया संहिता और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 का गोवा, दमण और दीव पर विस्तारण—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) जैसे वे उन राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त हैं जिन पर उनका साधारणत: विस्तार है, एतद्द्वारा गोवा, दमण और दीव पर विस्तारित किए जाते हैं और उनमें प्रवृत्त होंगे ।

4. निरसन और व्यावृत्ति—(1) गोवा, दमण और दीव में प्रवृत्त किसी भी विधि में से उतना जितना कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अथवा, यथास्थिति, उक्त संहिता या अधिनियम के किसी भी भाग का तत्स्थानी हो, गोवा, दमण और दीव में इस अधिनियम के प्रवर्तन में आते ही निरसित हो जाएगा :

परन्तु वह निरसन—

(क) ऐसे निरसित किसी भी विषय के पूर्वतन प्रवर्तन पर अथवा तद्धीन सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई किसी भी बात पर, अथवा

(ख) ऐसे निरसित किसी भी विधि के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर, अथवा

(ग) पूर्वोक्त जैसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के बारे में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार पर,

प्रभाव न डालेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही, या उपचार ऐसे संस्थित किया, चालू रखा या प्रवर्तित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था :

परन्तु यह और भी कि ऐसे निरसित किसी भी विधि के अधीन प्रकाशित अधिसूचनाएं, की गई घोषणाएं, बनाए गए नियम, नियत किए गए स्थान, फाइल किए गए करार, किए गए या फाइल किए गए पंचाट, विहित किए गए मापमान, विरचित प्ररूप, की गई नियुक्तियां और प्रदत्त शक्तियां, जहां तक कि वे, यथास्थिति, उक्त संहिता से या उक्त अधिनियम से संगत हैं, पूर्ववर्ती परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए वही बल और प्रभव रखेंगी, मानो वे क्रमश: उक्त संहिता या उक्त अधिनियम के अधीन और तद्द्वारा एतन्निमित्त सशक्त प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की गई, बनाए गए, नियत किए गए, फाइल किए गए, विहित किए गए, विरचित और प्रदत्त हों ।

---

[1] देखिए अधिसूचना सं० का०आ० 1597, तारीख 24-5-1966, भारत का राजपत्र, भाग 2, खंड 3(ii), पृ० 147

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पारित हर विधि या निकाली गई हर अधिसूचना में, जिसमें एतद्द्वारा निरसित किसी विधि के या उसके किसी अध्याय, धारा या उपबन्ध के प्रति निर्देश है, ऐसा निर्देश यावत्शक्य, यथास्थिति, उक्त संहिता या उक्त अधिनियम के अथवा उसके तत्स्थानी भाग, आदेश, धारा या नियम के प्रति किया गया निर्देश माना जाएगा ।

5. निर्वचन के नियम—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में और माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) में—

(क) गोवा, दमण और दीव में प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध के अथवा वहां अविद्यमान किसी भी कृत्यकारी के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अथवा वहां विद्यमान तत्सम कृत्यकारी के प्रति निर्देश है :

परन्तु—

(i) यदि कोई प्रश्न उद्भूत हो कि वह तत्सम कृत्यकारी कौन है, अथवा

(ii) यदि कोई भी ऐसा तत्सम कृत्यकारी न हो,

तो उप-राज्यपाल यह विनिश्चय करेगा कि ऐसा कृत्यकारी कौन होगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ख) राज्य सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश है और उप-राज्यपाल के प्रति निर्देश भी उसके अन्तर्गत आता है ।

(2) उक्त संहिता या उक्त अधिनियम का गोवा, दमण और दीव के सम्बन्ध में लागू किया जाना सुकर बनाने के प्रयोजन से कोई भी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी उसका अर्थ, उसके सार पर प्रभाव न डालते हुए, ऐसी रीति से लगा सकेगा जैसी उस न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष वाले विषय के लिए उसे अनुकूलित करने के लिए आवश्यक या उचित हो ।

6. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति—यदि गोवा, दमण और दीव में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के उन उपबन्धों को, जो उस संघ राज्यक्षेत्र पर इस अधिनियम द्वारा विस्तारित किए गए हैं, प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे उपबन्ध बना सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जैसे उसे उस कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

7. पारिणामिक उपबंध—इस अधिनियम का प्रारम्भ होते ही गोवा, दमण और दीव (न्यायिक आयुक्त का न्यायालय) विनियम, 1963 (1963 का 10) में—

(i) धारा 8 में, उपधारा (1) में प्रारम्भ में, शब्द "Subject to the provisions of any law for the time being in force" अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) धारा 16 में शब्दों "Subject to the provisions of this Regulation" के पश्चात् शब्द "and until other provision is made by law" अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) धारा 17 में उपधारा (1) में, शब्द "shall" के पश्चात् शब्द "until other provision is made by law," अन्त:स्थापित किए जाएंगे ।

———